

निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर  
प्रकरण संख्या 42/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )  
देवकरण गुर्जर पुत्र श्री छीतर गुर्जर निवासी ग्राम फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

सहायक कलक्टर फागी, जिला जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थी



मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष  
विचाराधीन प्रकरण संख्या 66/2020 ब उनवानी देवकरण बनाम सीताराम  
व अन्य को अन्वत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थित:-

1. श्री सीताराम कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष प्रकरण संख्या 66/2020 ब उनवानी देवकरण बनाम सीताराम व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्वत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फागी से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।
3. बहस एक पक्षीय सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौरान बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण ने तामील के बाद भी सी.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत जबाब दावा 30 दिन में प्रस्तुत नहीं किया, ना ही पीठासीन अधिकारी ने 3 वर्षों की लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जबाब बंद करने का आदेश प्रदान किया । जब वादी व वादी अधिवक्ता ने जबाब बंद करने का मौखिक निवेदन किया तो पीठासीन अधिकारी ने उक्त पत्रावली को पढ कर कहा कि इस मुकद्दमें में दम नहीं है। मैं इस मुकद्दमें को खारिज करूंगा । वादी शकल से ही मुकद्दमेंबाज लगता है। वादी अधिवक्ता ने पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि प्रकरण में 3 वर्ष से जबाब भी नहीं आया है, ना ही साक्ष्य प्रस्तुत हुये है, फिर भी मेरे मुकद्दमें को झूठा बता रहे हो। जबकि यह तो गुणावगुण पर निस्तारित होगा । पक्षकार की शकल देख कर निर्णय नहीं किया जाता है। जिस पर पीठासीन अधिकारी और ज्यादा उग्र हो गये और पत्रावली को चैम्बर में लेकर चले गये, फिर वादी भी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में चला गया तब पीठासीन अधिकारी ने कहा मेरे सामने मत आ, तेरी चैम्बर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई ? आयन्दा मेरे सामने मत आना नहीं तो केस खारिज कर दूंगा । तब वादी डर कर चैम्बर से बाहर आ गया और अधिवक्ता को यह बात बताई, तब अधिवक्ता ने बताया कि साहब इस केस को नहीं सुनेंगे।


जिला कलक्टर  
जयपुर


यदि आयन्दा यह केस साहब के सामने आया तो खारिज कर देंगे। इस प्रकार प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से कतई न्याय की उम्मीद नहीं रही। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
6. पूर्व में उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन था, जिसमें प्रार्थी देवकरण द्वारा ही मुत्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 205/2019 आदेश दिनांक 05.03.2020 से उक्त प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर फागी में ट्रान्सफर किया गया है। अब प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर फागी के पीठासीन अधिकारी पर भी आरोप लगा कर अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में 28 प्रतिवादीगण हैं, जिनमें से किसी को भी मुत्तकिल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा दूषित प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का बताया है, जबकि पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में आरोपों का खण्डन करते हुये वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का बताया है। प्रार्थी ने प्रकरण में प्रतिवादीगण का जबाब बन्द नहीं करने का आरोप लगाया है, जबकि पत्रावली अभी तक प्रतिवादीगण के नोटिस तलबी में जैरकार है। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि सहायक कलक्टर फागी के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. निर्णय की प्रति हस्व कायदा सहायक कलक्टर फागी को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(राजन मिशाल)  
जिला कलक्टर  
जयपुर